न्यूज़ टुडे

लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में आत्महत्या से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट देखी गई

इस अध्ययन के अनुसार, भारत में 1990 से 2021 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु दर में 30% से अधिक की गिरावट देखी गई है। इस अध्ययन में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरी एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी (GBD) 2021 के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

- अध्ययन में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर औसतन हर 43 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है।

भारत से संबंधित निष्कर्ष

- **आत्महत्या मृत्यु दर:** भारत में आत्महत्या संबंधी मृत्यु दर 1990 में प्रति लाख जनसंख्या पर 18.9 थी। यह दर 2021 में प्रति लाख जनसंख्या पर 13 हो गई है। आत्महत्या से होने वाली मृत्यु दर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मामले में अधिक कमी देखी गई है।
  - **महिलाओं के मामले में:** 16·8 (1990) से घटकर 10.3 (2021)।
  - **पुरुषों के मामले में:** 20.9 (1990) से घटकर 15.7 (2021)।
- **सबसे सुभेद्य वर्ग:** 2020 में भारत में शिक्षित महिलाओं में आत्महत्या से होने वाली मृत्यु दर सबसे अधिक थी। इसका सबसे सामान्य कारण पारिवारिक समस्याएं थीं।

आत्महत्याओं को कम करने के लिए उत्तरदायी पहल/ कारक

- **गैर-अपराधीकरण:** मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के अनुसार अब आत्महत्या करने का प्रयास कोई आपराधिक गतिविधि नहीं है।
  - भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 309, आत्महत्या को एक आपराधिक कृत्य घोषित करती है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) में ऐसी किसी भी धारा को शामिल नहीं किया गया है। BNS आत्महत्या के प्रयास को अपराध नहीं मानती है।
- **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022):** इस राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य 2030 तक देश में आत्महत्या संबंधी मृत्यु दर को 10% तक कम करना है।
- **WHO की मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013-2030:** सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करने हेतु मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है।
- **अन्य पहलें:** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014), SDG लक्ष्य 3.4, मनोदर्पण जैसी टोल-फ्री हेल्पलाइनें आदि।
  - सतत विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 3.4: मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गहन गैर-संचारी रोग (NCD) स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया

यह अभियान राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD) का एक हिस्सा है।

- कार्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर NCD प्रभाग स्थापित किए गए हैं।
  - राष्ट्रीय NCD प्रभाग का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (NCD) द्वारा किया जाता है। साथ ही, उप महानिदेशक (DDG) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में तकनीकी प्रमुख है।
- **उद्देश्य:** 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की 100% स्क्रीनिंग सुनिश्चित करना।
- **कवरेज:** प्रचलित NCDs, जिनमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और तीन सामान्य कैंसर (मुंह, स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर) शामिल हैं।
  - **अपनाई गई रणनीतियां:** घर-घर तक पहुंच बनाना, आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना, रियल टाइम निगरानी करना, बहु-स्तरीय (ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर) समन्वय करना आदि।

गैर-संचारी रोग और उनकी स्थिति

- NCDs वे चिरकालिक रोग हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं।
- **स्थिति:** WHO, 2018 के अनुसार, भारत में सभी मौतों में से 63% गैर-संचारी रोगों के कारण होती हैं।
- वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 74% तक पहुंच चुका है।
  - **अधिक जोखिम वाले रोग:** हृदय रोग (27%), दीर्घकालिक श्वसन रोग (11%), कैंसर (9%), मधुमेह (3%) आदि।

NCDs की बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे उत्तरदायी कारक

- **व्यवहार संबंधी कारक:** तंबाकू का उपयोग (धूम्रपान व धुआं रहित), शराब का उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता, वायु प्रदूषण (इंडोर एवं आउटडोर)।
- **जैविक और शारीरिक कारक:** अधिक वजन/ मोटापा, उच्च रक्तचाप या ब्लड सुगर, उच्च कोलेस्ट्रॉल आदि।
- **अन्य:** तनाव, वंशानुगत कारक आदि।

NCDs को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:** यह खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हेतु सहायता प्रदान करता है।
- **प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) योजना:** इसके तहत सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- **उपचार के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (AMRIT):** इसका उद्देश्य कैंसर, हृदय रोग आदि के इलाज के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है।
- FSSAI द्वारा ईट राइट इंडिया मूवमेंट स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देता है।

RBI के बुलेटिन में भारत में सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया

यह विश्लेषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय (Capex) में की जाने वाली वृद्धि को देखते हुए प्रस्तुत किया गया है।

- एक सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता (Quality of Public Expenditure- QPE) सूचकांक तैयार किया गया है। यह सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता और उसके सामाजिक-आर्थिक परिणामों के बीच संबंध का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
- QPE में GDP की तुलना में पूंजीगत व्यय का अनुपात, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का अनुपात, GDP की तुलना में विकास संबंधी व्यय का अनुपात, कुल व्यय और ब्याज भुगतान का अनुपात आदि शामिल किए गए हैं।

विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- RBI ने 1991 से लेकर अब तक भारत के सार्वजनिक व्यय के रुझानों को निम्नलिखित छह चरणों में विभाजित किया है:
  - 1991-95 (उदारीकरण के बाद का चरण): इस अवधि में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए पूंजीगत और विकास व्यय में कटौती की गई थी।
  - 1996-2003 (FRBM के पूर्व के वर्ष): इस दौरान ऋण बोझ में वृद्धि हुई और सार्वजनिक निवेश में ठहराव की स्थिति देखी गई।
    - FRBM: राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन।
  - 2003-08 (FRBM के कार्यान्वयन का काल): इस दौरान नियम-आधारित वित्तीय अनुशासन के कारण पूंजीगत व्यय में सुधार हुआ और ब्याज के भुगतान में कमी आई।
  - 2008-13 (वैश्विक वित्तीय संकट का दौर): प्रतिचक्रीय उपायों (Countercyclical measures) ने आर्थिक सुधार का समर्थन करते हुए राजकोषीय स्थिरता पर दबाव डाला।
  - 2013-20 (GST और राजकोषीय हस्तांतरण): GST प्रणाली की शुरुआत हुई और उच्चतर राजकोषीय हस्तांतरण से व्यय प्राथमिकता में बदलाव हुआ।
  - 2020-25 (महामारी से निपटने का चरण): ऋण के उच्च स्तर के बावजूद अवसंरचना पर केंद्रित रिकवरी ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाया।

सार्वजनिक व्यय की भूमिका:

- **सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं में सुधार:** शिक्षा, स्वास्थ्य व अवसंरचना पर व्यय मानव संसाधन एवं उत्पादकता को बढ़ाते हैं।
- **निजी निवेश को बढ़ावा:** यह मांग को प्रोत्साहित करता है और उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है।
- **व्यापक आर्थिक स्थिरता:** यह दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करता है और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखता है।
- **पूंजीगत व्यय का महत्त्व:** पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने से दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को बल मिलता है।

उच्च सार्वजनिक व्यय के जोखिम:

- इससे बजट घाटा बढ़ सकता है, ब्याज दरें ऊंची हो सकती हैं, राष्ट्रीय बचत में कमी आ सकती है और सरकार की विश्वसनीयता व निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।

- सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार से आर्थिक प्रदर्शन में सुधार हुआ और बेहतर सामाजिक परिणाम भी प्राप्त हुए।
- केंद्र सरकार के व्यय की गुणवत्ता का GDP में वृद्धि से अधिक जुड़ाव रहा है, जबकि राज्यों के व्यय की गुणवत्ता मानव विकास सूचकांक (HDI) पर अधिक प्रभाव डालती है।

माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना 1 क्वांटम चिप लॉन्च की

यह दुनिया की पहली ऐसी क्वांटम चिप है, जो नए टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित होती है।

- यह क्वांटम कंप्यूटर के विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, क्योंकि इसमें अधिक स्थिर और स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटिंग घटक शामिल होते हैं।

मेजराना 1 के बारे में

- इसमें पहली बार टोपोकंडक्टर (टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर) का उपयोग किया गया है।
  - टोपोकंडक्टर एक विशेष श्रेणी का पदार्थ है, जो पदार्थ की एक पूरी तरह से नई अवस्था बना सकता है। यह अवस्था ठोस, तरल या गैस नहीं बल्कि एक टोपोलॉजिकल अवस्था होती है।
  - यह पदार्थ इंडियम आर्सेनाइड (एक अर्धचालक) और एल्यूमीनियम (एक अतिचालक/ Superconductor) से बना है।
- इसमें कणों का निरीक्षण करने के लिए एक अतिचालक नैनोवायर का उपयोग किया जाता है और इसे मानक कंप्यूटिंग उपकरणों से नियंत्रित किया जा सकता है।
- यह मेजराना फर्मिऑन नामक एक उप-परमाण्विक कण पर निर्भर करता है।
  - मेजराना फर्मिऑन एक ऐसा फर्मिऑन है, जो एक कण और इसके प्रतिकण दोनों का व्यवहार दर्शाता है। दोनों ही रूपों में इसके गुण समान होते हैं और सैद्धांतिक रूप से इसके अस्तित्व का पहली बार 1930 के दशक में वर्णन किया गया था।

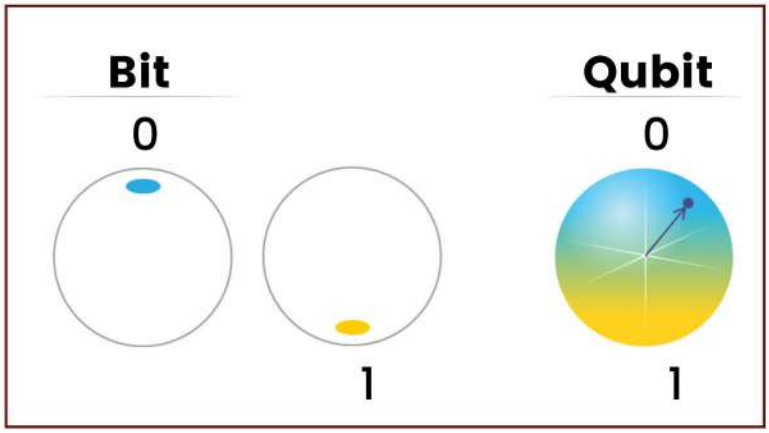

मेजराना 1 एक बड़ी उपलब्धि क्यों है?

- इसमें प्रतिद्वंद्वी चिप्स की तुलना में कम क्यूबिट (या क्वांटम बिट) की आवश्यकता होती है। साथ ही, इसमें त्रुटि दर भी अन्य प्रतिद्वंद्वी चिप्स, जैसे- गूगल (विलो), IBM आदि की तुलना में कम है।
  - क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई होती है।
- AI के साथ संयोजन से परिवर्तनकारी और वास्तविक दुनिया के समाधान मिल सकते हैं, जैसे- माइक्रोप्लास्टिक को हानिरहित उपोत्पादों में तोड़ना आदि।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने OTTs (ओवर-द-टॉप) को 'अश्लील कंटेंट' के खिलाफ चेतावनी जारी की

यह चेतावनी ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट पब्लिशर्स (OTT प्लेटफॉर्म्स) और OTT प्लेटफॉर्म्स के स्व-विनियामक निकायों को जारी की गई है।

- OTT एक मीडिया सेवा है, जो इंटरनेट के माध्यम से फिल्मों और टेलीविजन कंटेंट तक पहुंच प्रदान करती है।

मुख्य निर्देशों पर एक नजर

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दायित्व और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT नियम, 2021) के भाग III के तहत OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है।
  - इस आचार संहिता में प्रावधान किया गया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स ऐसे किसी भी कंटेंट को प्रसारित नहीं करेंगे, जो कानून द्वारा निषिद्ध है। साथ ही, इनके लिए आयु के अनुसार कंटेंट का वर्गीकरण करना जरूरी है।
  - इनके तहत शिकायतों के निवारण के लिए त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र बनाया गया है-
    - स्तर- I: प्रकाशकों द्वारा स्व-नियमन;
    - स्तर- II: प्रकाशकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-विनियमन;
    - स्तर- III: निरीक्षण तंत्र।
- OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कानूनों के उन प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है, जो घृणित या अश्लील कंटेंट के प्रकाशन पर रोक लगाते हैं। इन कानूनों में शामिल हैं-
  - महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986;
  - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो/ POCSO) अधिनियम, 2012;
  - सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000; तथा
  - भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023.

OTT प्लेटफॉर्म्स के विनियमन में बाधाएं

यूजर वेरिफिकेशन से जुड़े मुद्दे
आयु सत्यापन में कठिनाई माता-पिता के नियंत्रण को जटिल बनाती है।

स्पष्टता का अभाव
कंटेंट श्रेणियों को परिभाषित करने में अस्पष्टता विनियमन में बाधा डालती है।

अप्रभावी नियम
मौजूदा नियम कंटेंट रेटिंग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में विफल हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
मुक्त अभिव्यक्ति के साथ विनियमन को संतुलित करना जटिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर लोकपाल के अधिकार-क्षेत्र को प्रभावी करने वाले लोकपाल के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी न्यायाधीश (हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट) संविधान के तहत नियुक्त होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे लोकपाल के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं।

संबंधित मामला व लोकपाल के तर्क:

- लोकपाल ने अपने हालिया आदेश में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को "लोक सेवक" के रूप में वर्गीकृत किया था और उन्हें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में रखा था।
  - हालांकि, इससे पहले लोकपाल ने कहा था कि भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। ऐसा इसलिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया गया था।
- **लोकपाल के तर्कों का आधार:**
  - हाईकोर्ट्स ब्रिटिश कानूनों (जैसे इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, 1861) के तहत स्थापित किए गए थे और भारतीय संविधान से पहले के हैं।
  - सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया था, जो इसे एक अलग श्रेणी में रखता है।

लोकपाल का अधिकार क्षेत्र (लोकपाल अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत):

- पूर्व/ वर्तमान प्रधान मंत्री (परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े मामलों को छोड़कर)।
  - जांच शुरू करने के लिए लोकपाल की पूर्ण पीठ (अध्यक्ष + सभी सदस्य) के कम-से-कम 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है।
- पूर्व/ वर्तमान केंद्रीय मंत्री या संसद के दोनों सदनों के सदस्य।
- सरकारी कर्मचारी: केंद्र सरकार से जुड़े ग्रुप 'A', 'B', 'C', या 'D' के सरकारी अधिकारी।
- संस्था, निकाय, प्राधिकरण, कंपनी, ट्रस्ट आदि के अध्यक्ष/ सदस्य/ अधिकारी/ कर्मचारी।
  - यदि संस्था, निकाय, प्राधिकरण, कंपनी, ट्रस्ट आदि को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो या केंद्र सरकार द्वारा आंशिक/ पूर्ण रूप से वित्त-पोषित या नियंत्रित हो, अथवा
  - यदि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक का विदेशी अंशदान प्राप्त होता हो।

अन्य सुर्ख़ियां

अनुच्छेद 101(4)

हाल ही में, जेल में बंद एक सांसद ने अनुच्छेद 101(4) के तहत अयोग्यता से बचने हेतु संसद में उपस्थित होने की अनुमति के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

अनुच्छेद 101(4) के बारे में

- यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना साठ दिनों तक उसके सभी अधिवेशनों या बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।
  - हालांकि, इन 60 दिनों की गणना में वह अवधि शामिल नहीं होती, जब सदन का सत्रावसान (Prorogation) हुआ हो या जब सदन को लगातार चार दिनों से अधिक समय के लिए स्थगित (Adjourn) किया गया हो।

स्टैगफ्लेशन

हालिया समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी बाजार में स्टैगफ्लेशन की वापसी के संकेत मिल रहे हैं।

स्टैगफ्लेशन के बारे में

- परिभाषा: स्टैगफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति है, जिसमें धीमी आर्थिक संवृद्धि, उच्च बेरोजगारी और बढ़ती मुद्रास्फीति शामिल होती है।
  - इससे निपटने में नीति निर्माताओं को दुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक समस्या (जैसे- मुद्रास्फीति) का समाधान करने से दूसरी समस्या (जैसे- बेरोजगारी) पैदा हो जाती है।
- कारण: यह अक्सर आपूर्ति पक्ष के आघातों (जैसे- तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि) के कारण होता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियां कम हो जाती हैं।
- प्रभाव: तेजी से बढ़ती कीमतों और धीमी आर्थिक संवृद्धि के कारण जीवन स्तर में गिरावट आती है और आर्थिक अनिश्चितता में वृद्धि होती है।

इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC)

इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) ने गुजरात में वेस्ट इंसीनरेशन यानी अपशिष्ट भस्मीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण से हाथ खींच लिया है।

IFC के बारे में

- यह **विश्व बैंक समूह का सदस्य** है।
- इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय **वाशिंगटन डीसी** में स्थित है।
- **भारत इसका एक सदस्य है।**
- यह उभरते बाजारों में **निजी क्षेत्रक** पर केंद्रित **सबसे बड़ी वैश्विक विकास संस्था** है। यह विश्व बैंक की निजी ऋणदाता शाखा है।
- **उद्देश्य:** IFC का उद्देश्य **निजी क्षेत्रक** की क्षमता का उपयोग करके **हरित आर्थिक विकास** को बढ़ावा देना, **समावेशी रोजगार** सृजित करना और **प्रभावशाली परियोजनाओं** के विचारों को निवेश में परिवर्तित करना है।

प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS)

प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) के पायलट चरण के दूसरे दौर के शुभारंभ के साथ, इसकी आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है।

PMIS के बारे में

- **उद्देश्य:** देश की युवा आबादी को भारत की शीर्ष कंपनियों में **12 महीने की पेड इंटर्नशिप** प्रदान करके उनकी क्षमता का उपयोग करना।
- **मंत्रालय:** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
- **लाभार्थी: 21 से 24 वर्ष** की आयु के ऐसे युवा, जो वर्तमान में किसी भी पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम या रोजगार से जुड़े हुए नहीं हैं।
- **लाभ:**
  - प्रत्येक इंटर्न को **5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता** दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 6,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
  - भारत की शीर्ष कंपनियों में 12 महीने तक कार्य करने का अनुभव।
  - प्रत्येक इंटर्न के लिए **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** (PMJJBY) और **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना** (PMSBY) के तहत बीमा कवरेज।

माउंट इकोनो

हाल ही में, इंडोनेशिया के **माउंट इकोनो में ज्वालामुखी विस्फोट** हुआ।

माउंट इकोनो के बारे में

- यह **समुद्र तल से 1,087 मीटर की ऊंचाई** पर स्थित है। यह इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
- **अवस्थिति: हल्माहेरा द्वीप**

इंडोनेशिया में हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट की अन्य घटनाएं:

- **माउंट मेरापी:** यह योग्याकार्टा शहर के नजदीक स्थित है।
- **माउंट रुआंग:** यह सुलावेसी द्वीप समूह में स्थित एक स्ट्रैटोवोलकानो है।
- **माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी:** यह फ्लोरेस द्वीप में अवस्थित है।

बायोमार्कर (जैविक मार्कर)

भारत में शोधकर्ताओं की एक टीम ने अग्न्याशय कैंसर और फेफड़ों के कैंसर जैसे कैंसरों में सामान्य **मेटाबोलाइट्स** की पहचान की है। ये मेटाबोलाइट्स **यूनिवर्सल कैंसर बायोमार्कर** के रूप में काम कर सकते हैं।

बायोमार्कर (बायोलॉजिकल मार्कर) के बारे में

- **परिभाषा:** बायोमार्कर किसी कोशिका या जीव में **जैविक प्रक्रियाओं** का एक ऑब्जेक्टिव माप होता है। इसे **रक्त, शरीर के तरल पदार्थों या ऊतकों** में मौजूद जैविक अणुओं के माध्यम से पहचाना जा सकता है।
- **प्रमुख उपयोग:**
  - **रोग की पहचान:** उदाहरण के लिए- बायोमार्कर प्रारंभिक चरण में ही कैंसर का पता लगाने के लिए एक सहज और गैर-आक्रामक विधि प्रदान करता है।
  - **प्रत्येक मरीज हेतु व्यक्तिगत उपचार को बढ़ावा:** विशिष्ट आनुवंशिक या आणविक प्रोफाइल की पहचान के जरिए मरीज के लिए उपयुक्त और व्यक्तिगत उपचार को संभव बनाया जाता है।
    - बायोमार्कर यह भी निगरानी करता है कि मरीज इलाज पर कैसी और कितनी प्रभावी प्रतिक्रिया दे रहा है।

विजय दुर्ग (फोर्ट विलियम)

हाल ही में, कोलकाता स्थित **फोर्ट विलियम** का नाम बदलकर **विजय दुर्ग** कर दिया गया। गौरतलब है कि वर्तमान समय में **फोर्ट विलियम** में सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है।

विजय दुर्ग (फोर्ट विलियम) के बारे में

- इसका नाम **इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय** के नाम पर रखा गया था।
  - इसका **विजय दुर्ग** नाम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर स्थित प्राचीनतम किले के सम्मान में किया गया है, जो **छत्रपति शिवाजी महाराज** के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण **नौसैनिक अड्डा** था।
- कोलकाता स्थित विजय दुर्ग **हुगली नदी** के तट पर अवस्थित है।
- **ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम** में हुई थी।
  - **बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला** ने एक छोटी सी कोठरी में तकरीबन 146 ब्रिटिश सैनिकों को रात भर के लिए बंद कर दिया। सुबह जब इसे खोला गया तो दम घुटने और अत्यधिक गर्मी कारण अधिकतर सैनिकों की मौत हो चुकी थी। इसे ही **ब्लैक होल त्रासदी** के नाम से जाना जाता है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

गोपाल कृष्ण गोखले (1866-1915)

देश ने महान दूरदर्शी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया।

गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में

- **जन्म:** उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था।

प्रमुख योगदान

- वह **सार्वजनिक सभा** के **सचिव** थे। इसके अलावा, वे **गोपाल गणेश आगरकर** द्वारा प्रारंभ की गई **'सुधारक'** पत्रिका से भी जुड़े हुए थे।
- **गोपाल कृष्ण गोखले** ने 1905 में **सर्वेण्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी** की स्थापना की थी।
- उन्होंने 1905 में **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की।**
- **महात्मा गांधी** गोखले को अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक मानते थे।
- **मूल्य:** राष्ट्रवाद, उदारवाद, नेतृत्व, आदि।

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची